

(166)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एस0एस0 अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक- 612-तीन/2007 विरुद्ध आदेश दिनांक 01-03-2007
पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक-29/अपील/2006-07

1- भूरी बेवा पत्नी जोखई

2- रामचन्द्र यादव

3- रामायण

4- धर्मदास

5- संतोष

6- विनायक, पुत्रगण जोखई

निवासीगण-ग्राम भितरी तह0 रामपुर नैकिन

जिला-सीधी(म0प्र0)

-----आवेदकगण

विरुद्ध

भूरा यादव तनय श्री छोटई यादव

निवासी-ग्राम भितरी तहसील रामपुर नैकिन

जिला-सीधी (म0प्र0)

-----अनावेदक

श्री डी0एस0 चौहान, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 26-07-17 को पारित)

यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 01-03-2007 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा नामांतरण पंजी क्रमांक 19 में पारित आदेश दिनांक 13.05.84 से अनावेदक के पक्ष में नामांतरण आदेश पारित किया गया। इसी आदेश के विरुद्ध आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी चुरहटी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जो आदेश दिनांक 29.09.2006 से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया गया। इसी आदेश के विरुद्ध अनावेदकगण द्वारा अपर आयुक्त रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 01.03.2007 द्वारा 15 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इसे समय सीमा मानकर किया जाना उचित नहीं पाते हुये अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया है। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है। अतः प्रकरण का निराकरण उलब्ध अभिलेखों के आधार पर किया जा रहा है।

4/ अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदकगण द्वारा नामांतरण पंजी में पारित आदेश दिनांक 13.05.1984 के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 16.02.2000 को लगभग 15 वर्ष से अधिक विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई है। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश में आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील पर दिन-प्रतिदिन विलम्ब पर कोई सकारण आदेश पारित नहीं किया गया। मात्र स्याद अधिनियम की धारा 5 के आवेदन प्रस्तुत किये जाने को ही समाधानकारक पाते हुये अपील को समय-सीमा में मान्य किया गया है। 15 वर्ष से अधिक दीर्घकालिक विलम्ब हो समाधानकारक कारण प्रस्तुत नहीं करने पर अपील को समय सीमा में मान्य किया जाना उचित नहीं है। इसी कारण अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के 15 वर्ष से अधिक विलम्ब को सरसरी तौर पर माफ किया जाना उचित नहीं पाते हुये अनावेदक द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की है। अपर आयुक्त द्वारा निकाले गये निष्कर्षों में कोई त्रुटी परिलक्षित नहीं होती है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 01-03-2007 स्थिर रखा जाता है।

(एस0एस0 अली)

सदस्य,

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश,
ग्वाल्तर